

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 1209/2 ई0व0भू0
सेवा में,

दिनांक 09/05/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/15295/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/58/2017/एफ0सी0/503 दिनांक 05.08.2021.

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तों के अनुपालन आख्या

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नंही बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नंही बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी -प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.296 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कनस्यारी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। क्योंकि कुल 4.296 हे0 भूमि में से 1.0 हे0 भूमि MDF में है। अतः राज्य सरकार गाईडलाईन पैरा 2.4 (vi) के अनुसार शेष 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र degraded forest land में लगायेगी तथा इस क्षेत्र का DGPS मानचित्र, shape file पृथक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4.296 हे0 प्रतिपूरक वनीकरण के लिए आवश्यक धनराशि रू0 15,93,395.00 मात्र (रू0 पन्द्रह लाख तिरानबे हजार तीन सौ पिचानबे मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN122319728073 Dtd 15.11.2022 द्वारा किया जा चुका है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न-1)
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.296 हे0 ग्राम कनस्यारी की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 15,93,395.00 मात्र (रू0 पन्द्रह लाख तिरानबे हजार तीन सौ पिचानबे मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN122319728073 Dtd 15.11.2022 द्वारा किया जा चुका है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न-1) साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.296

डिस्पेंसर
19/6/2025
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

<p>अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।</p>	<p>है0 ग्राम कनस्यारी का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 78/छब्बीस-33 वन(12-13)/2024-25 दिनांक 05.02.2025 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न-2।)</p>
<p>ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p>	<p>कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।</p>
<p>4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p>	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं- प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।</p>
<p>5</p>	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य</p>
<p>(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA न0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003 एवं 2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 में जारी दिषानिदिषानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत: 1.4875 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p>	<p>एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBIN122319728073 Dtd 15.11.2022 द्वारा रू0 14,11,236.00 मात्र (रू0 चौदह लाख ग्यारह हजार दो सौ छत्तीस मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न-1)।</p>
<p>(ख) विषेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्धता (प्रमाण पत्र संलग्न-3)।</p>
<p>6</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 153 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।</p> <p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 153 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।</p>

7	परियोजना के तहत परियोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित/जमा किया गया है (चालान की प्रति संलग्न)।
8	गाईडलाईन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.1 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कइस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	गाईडलाईन में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्न-5)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा- प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण: अधिनियम 1986 के प्रावधानों के क्रम में प्रस्ताव में प्रारूप सं0-54 के नुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विषेज वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विषेज वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

16	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearing अंकित हों।	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearing अंकित हों— प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिषानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम. 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिषानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावष्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावष्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना चार प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक - 2823 /कैश,
सेवा में,

दिनांक 14/11/22

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम
आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,
लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैंकर्स चैक सं0- 639080, दिनांक 09.11.2022 ₹ 3004631.00 मात्र
की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0- 150896115295214 IFSC Code- UBIN0996335 में
NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :- बैंकर्स चैक सं0-639080 दिनांक 09.11.2022 ₹ 3004631.00 मूल में।

14.11.2022
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

पत्रांक :- 2823 /कैश, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

14.11.2022
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

SBIN122319726073

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

15/11/2022

Bill Type : Normal

Voc No 74

[Signature]

Print Date - 23-9-2022
Transaction - M18900422709221032

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - 1
(देखे अध्याय - आठ, पत्र 178, 180, 182, 183)

Executive Engineer
Prov. Division P.W.D
Bageshwar

उपपद का नाम : बागेश्वर
 कोषागार का नाम : बागेश्वर
 कोषागार की अवधि कब से कब तक
 कोषागार का कोड
 कोषागार/उपकोषागार का कोड
 प्रपत्र संख्या
 प्रपत्र संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)
 मसौदा/भारित
 लेखाशोधक सम्बन्धी 13 अंकों का कोड (4 मुख्य लेखाशोधक + 3 लघुशोधक + 2 उपशोधक + 2 ब्योरेवार शोधक)
 आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम
 आहरण वितरण अधिकारी का कोड
 अधिष्ठान का नाम
 अनुदान संख्या : (022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान
 स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

लेखाशोधक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशोधक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शोधक -	(04)जिला तथा अन्य सड़क
लघुशोधक -	(337)सड़क निर्माण कार्य
उपशोधक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शोधक -	(04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)
वाउचर दिनांक	-

मसौदा : 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4
 : अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर
 : अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर
 14- सॉर्स कोड : 0 15- सेक्टर कोड : 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)
 Project : PR8900422701201017 Soliya-Bajani-Majuliya motor road in District Bageshwar under CM Ghosna-803/2014 (Stage-I)
 Contract :

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	9520155	9520155	0

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	30,04,631
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	30,04,631

ONLY FOR OFFICIAL USE

P.C. Attested
[Signature]
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	30,04,631

Sl. No.	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि ₹0	अभ्युक्ति
1	mamo /22-SEP-2022/	30,04,631	
66- सकल धनराशि अग्रिम समायोजन के बाद		30,04,631	
77- सम्पूर्ण कटौतियां		-	
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77		30,04,631	

निर्णय किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमवार किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

प्रभागीय लेखाकार / लेखाधिकारी
 आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
Executive Engineer
Prov. Division P.W.D
Bageshwar
 कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु
 निम्नलिखित/प्रतिभूति कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
Executive Engineer
Prov. Division P.W.D
Bageshwar
 (केवल काउन्टरसाइन्ड कटौतियों के प्रकरण में ही लागू होगा)
 (पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

₹0 30,04,631 (Rupees Thirty Lacs Four Thousand Six Hundred Thirty One Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
 द्वारा ₹0 -
 धनराशि ₹0 30,04,631

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	Executive Engineer PD PWD Bageswar	Saving	D		3004631	0	0	3004631
					3004631	0	0	3004631

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 2392 / 12-1-2

बागेश्वर, दिनांक : 23/12/2021

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

विषय -

जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/58/2017/एफ०सी०/503 दिनांक 05.08.2021।
2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1459/3-5-2 दिनांक 01.07.2021 के द्वारा निर्धारित दरों के क्रम में वर्ष 2021-22 के दर से वसूली वर्ष हेतु किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापित के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र०सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० वलास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	2.148 है०	5	0.1	6,57,000.00	14,11,236.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	4.296 है०	"-"	"-"	3,70,902.00	15,93,395.00

P.C. Attested

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

सहचक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू0सी0पी0/06/58/2017/एफ.सी./503

दिनांक: 05/08/2021

श्रेणी में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद- बागेश्वर में सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/15295/2015)

सन्दर्भ:- प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-580/x-4-17/1(72)/2017 दिनांक 28.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.07.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार- जनपद- बागेश्वर में सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.296 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम कनस्यारी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। क्योंकि कुल 4.296 हे० भूमि में सं 1.0 हे० भूमि MDF है। अतः राज्य सरकार गाईडलाईन पैरा 2.4 (vi) के अनुसार शेष 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र degraded forest land में लगायेगी तथा इस क्षेत्र का DGPS मानचित्र, shape file पृथक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में

P.C. Attested


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

1/3 contd..

प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।


- ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.148 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक रापथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 153 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. गार्डललाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

P.C. Attested


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

16. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।


भवदीय,



(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।


P.C. Attested

सहस्यक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर


(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।


एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर


अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

P.C. Attested


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

आदेश

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 है० वन भूमि को लोक निर्माण विभाग बागेश्वर को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 08बी/यू०सी०पी०/०६/५८/२०१७/एफ०सी०/५०३ दिनांक ०५.०८.२०२१ से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत के क्रम में उपजिलाधिकारी, गरुड़ की आख्या दिनांक २० जनवरी, २०२५ से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त २.१४८ है० वन भूमि की दुगुनी ४.२९६ है० भूमि, जो ग्राम कनस्यारी, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गरुड़, तहसील गरुड़ के गैर ज०वि०ख०खा० संख्या-७२ में दर्ज पैमाईशी खसरा संख्या-२६६६ रकवा ०.४५९ है०, २६६७ रकवा ०.२५० है०, २६६८ रकवा ०.५०३ है०, २६६९ रकवा ०.५१० है०, २६७० रकवा ०.५०० है०, २६७१ रकवा ०.३८० है०, २६७२ रकवा ०.३९९ है०, २६७३ रकवा ०.३७५ है०, २६७४ रकवा ०.३७५ है०, २६७५ रकवा ०.५२५ है०, २६७६ क्षेत्रफल ०.४६८ है० म० ०.०१४ है० इस प्रकार कुल ४.२९६ है० श्रेणी ९(३)ख(१) की भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अतः शासनादेश संख्या: २१७३/४४४४(४४)/२०१२-१८(१२०)/२०१० दिनांक १७ दिसम्बर, २०१२ तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक ०५.०८.२०२१ में निहित शर्तों के अधीन उक्तानुसार चिन्हित/प्रस्तावित कुल ४.२९६ है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या: ७८/छब्बीस-३३वन(१२-१३)/२०२४-२५ दिनांक ०५/०२/२०२५
प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :-

०१. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
०२. उपजिलाधिकारी, गरुड़।
०३. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
०४. तहसीलदार, गरुड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण-पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करावे।

AB. III / LAC

P.C. Attested

सहस्यक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

05/02/25

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No. Manral

Dated 04.09.2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug. 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.148 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of Solia Bajani to Majuliya motor road** in Bageshwar district falls within jurisdiction of **Jakhera and Soliya Bajani** villages in Garur Tehsil.

It is further certified that:-

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.148 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-4.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Dated 04.09.2015

Signature

(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि
बागेश्वर

प्रभाग वन अधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

1.6

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.148 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक ०५.०९.२०१५

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करवा जायेगा।

P.C. Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

1.6
प्रपत्र-30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

- | | | |
|----|------------------------------|-------------|
| 1- | जिलाधिकारी, बागेश्वर | अध्यक्ष |
| 2- | प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर | सदस्य |
| 3- | जिला पंचायत सदस्य | सदस्य |
| 4- | जिला समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/ सचिव |

आज दिनांक 04.09.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 27.8.2014 द्वारा सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग के लिए 2.148 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग के लिए 2.148 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग के लिए 2.148 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरुड़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनावसी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- गरुड़

उपखण्ड गरुड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.148 है० आरक्षित वनभूमि, 0.00 है०, सिविल सोयम वन भूमि, 0.00 है०, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 2.148 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरुड़ की दिनांक 27.08.2011 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एस०एस०जंगपांगी, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री एस०एस०जंगपांगी.	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री राजेन्द्र उस्ताद	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	श्री गोपाल सिंह नगी	बी०डी०सी० क्षेत्र गड़खेत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.148 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लब्धित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड गरुड परिक्षेत्र के अन्तर्गत सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2-14-8 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

~~उप~~ जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड (30 ख०)
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

~~उप~~ जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड
जनपद बागेश्वर (30 ख०)

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०व०
बागेश्वर

प्रभागीय वन अधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.14.8 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल सोयम भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.14.8 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.8.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम एवं तोक के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र
डि० ए० - गरुड़ (बागेश्वर)

सदस्य
क्षेत्र पंचायत जैसर
डि० ए० गरुड़ (बागेश्वर)

ग्राम प्रधान
डि० ए० गरुड़ (बागेश्वर)

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

P.C. Attested
सहस्यक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी-मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।

दिनांक 12.8.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ... बा.इ.र.क.प

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	रामाथि सिंह दानोहरा	
2-	पुनोहरा स/पुनोहरा	
3-	नन्दनोहरा स/पुनोहरा	
4-	पुनोहरा स/पुनोहरा	
5-	नेलाहरा स/पुनोहरा	
6-	पुनोहरा स/पुनोहरा	
7-	पुनोहरा स/पुनोहरा	
8-	दुर्गा देवी - इलान सिंह	
9-	लक्ष्मण सिंह चन्द्र सिंह	
10-	गोपिनी देवी	
11-	प्रताप सिंह स/पुनोहरा	
12-	तारा देवी - स/पुनोहरा	
13-	राजेश्वर सिंह फलवारा	
14-	पुनोहरा	
15-	माधवी देवी	
16-	गोपाल सिंह	
17-	पुनोहरा देवी	
18-	पुनोहरा	

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

ग्राम पंचायत विभाग, बागेश्वर
वि० ख० - नरक (बागेश्वर)

सदस्य
क्षेत्र पंचायत जेसर
वि० ख० नरक (बागेश्वर)

ग्राम पंचायत सदस्य
वि० ख० नरक (बागेश्वर)

अभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर